



माननीय उप राज्यपाल ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' स्वास्थ्य पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी

"अण्डमान तथा निकोबार को बनाएंगे पूर्णतः नशामुक्त"—माननीय उप राज्यपाल

माननीय उप राज्यपाल ने युवाओं को दिलाई नशामुक्त जीवन अपनाने की शपथ

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा आज मरीना पार्क, श्री विजय पुरम में 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' स्वास्थ्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। डॉ. दिनेश शर्मा, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित युवाओं को 'मेरा स्वास्थ्य, मेरा गौरव' का संदेश देते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने की शपथ दिलाई एवं अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। यह स्वास्थ्य पदयात्रा केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित की गई। 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को संबोधित करते हुए माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कठोर एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण में परिवार और शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों एवं शिक्षकों को निरंतर मार्गदर्शन, संवाद और सहयोग प्रदान करना चाहिए।



माननीय उप राज्यपाल ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में सही दिशा और सकारात्मक



विकल्पों को अपनाना ही नशे के विरुद्ध सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने युवाओं को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा—

"नशे से नहीं, अवसरों से जुड़िए। निष्क्रियता से नहीं, खेल से जुड़िए। निराशा से नहीं, लक्ष्य से जुड़िए। अकेलेपन से नहीं, समाज और समुदाय से जुड़िए। और नशे की ओर नहीं, राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़िए।" कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय, मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, पुलिस महानिदेशक श्री रवीन्द्र सिंह यादव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. संजय कुमार सिन्हा, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री पी. उमर, श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती वी. वसंता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालय एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी, युवा संगठनों के सदस्य तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान माननीय उप राज्यपाल ने मंच पर उपस्थित युवाओं सहित सभी प्रतिभागियों को सामूहिक रूप से नशामुक्त जीवन अपनाने तथा समाज को नशे से मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के पश्चात युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और उन्होंने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पदयात्रा में भाग लिया। मरीना पार्क से प्रारंभ हुई यह पदयात्रा श्री विजय पुरम के प्रमुख मार्गों से होकर आगे बढ़ी। पदयात्रा के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा नशामुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया।

संदेश

05 अक्टूबर 2026 को मनाये जाने वाले 'राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस' हमें डॉल्फिन के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय महत्व को पहचानने तथा उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुनः दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। ये प्राकृतिक आवास स्वस्थ, सुदृढ़ एवं जीवंत जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। डॉल्फिन हमारे समुद्री जैव-विविधता का अभिन्न अंग हैं तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह अपने समृद्ध एवं विविध समुद्री आवासों के साथ डॉल्फिन सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव-जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। डॉल्फिन का संरक्षण हमारे महासागरों, प्रवाल भित्तियों, तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों तथा समुद्री संसाधनों पर निर्भर समुदायों की आजीविका के संरक्षण से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। समुद्री प्रदूषण, प्राकृतिक आवासों का क्षरण, असंभारणीय मत्स्यन गतिविधियों तथा मानवीय हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तरदायी व्यवहार एवं सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। इस 5वें राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, मैं द्वीपवासियों, विशेषकर हमारे युवाओं, मछुआरा समुदायों तथा सभी हितधारकों से आह्वान करता हूँ कि वे डॉल्फिन एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान दें। आइए, हम अपनी डॉल्फिनों का संरक्षण कर, अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समृद्ध समुद्री विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें।



(डॉ. दिनेश शर्मा)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



डॉ. दिनेश शर्मा, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, से आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुनील कुमार ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हेलीकॉप्टर संपर्क व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने, आधुनिक एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन पर्यटन प्रस्तावों, द्वीपवासियों की सुविधा के लिए नए हेलीकॉप्टर मार्गों के संचालन, पायलट प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना तथा स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसरों के सृजन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक एवं सार्थक चर्चा हुई। बैठक के दौरान द्वीपसमूह में हवाई संपर्क को और बेहतर बनाने तथा पर्यटन एवं रोजगार के नए अवसर विकसित करने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सचिव (नागरिक उड्डयन), सचिव, उप राज्यपाल तथा पवन हंस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

72वां वन्यजीव सप्ताह समारोह : चिड़ियाटापू जैविक उद्यान में पक्षी अवलोकन कार्यक्रम आयोजित

मुख्य सचिव ने मुंडा पहाड़ ट्रेक को पुनः पर्यटकों के लिए खोला



श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., ने 4 अक्टूबर, 2026 को दक्षिण अण्डमान के चिड़ियाटापू स्थित मुंडा पहाड़ ट्रेक को पुनः

पर्यटकों के लिए खोल दिया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) श्री संजय कुमार सिन्हा, भा.व.से., तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित

शेष पृष्ठ 4 पर



श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह-2026 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा आज दक्षिण अण्डमान स्थित चिड़ियाटापू जैविक उद्यान में पक्षी अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य द्वीपसमूह की समृद्ध पक्षी विविधता के प्रति लोगों में अधिक सराहना की भावना विकसित करना तथा



वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, भा.प्र.से., प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय कुमार सिन्हा, भा.व.से., प्रशासन तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उनकी उपस्थिति

शेष पृष्ठ 4 पर

नशा मुक्त भारत अभियान : डीसी-एसपी बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 का सफल समापन



श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त कार्यालय तथा नशा मुक्ति के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) द्वारा खेल एवं युवा कार्य विभाग के सहयोग से आयोजित डीसी-एसपी बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 का फाइनल 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में बैडमिंटन खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल भावना, शारीरिक फिटनेस तथा नशामुक्त समाज के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में दक्षिण अण्डमान की उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग मुख्य अतिथि तथा डीडीआर/आईआरसीए के प्रमारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. महतो सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में कुल 64 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में विजेता एवं उप विजेता इस प्रकार रहे- डीसी-एसपी बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 के विजेता एवं उप विजेता 1. पुरुष युगल-ओपन वर्ग

- विजेता: बी. गौतम आदर्श एवं आदित्य

- उप विजेता: डी. तिरुमुरुगन एवं अंजय
- महिला युगल-ओपन वर्ग
- विजेता: रिया मलिक एवं बी. श्वेता
- उप विजेता: प्रीति दास एवं स्नेहा बिश्वास
- पुरुष युगल-45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
- विजेता: प्रेम चं. सिंह एवं उदय शंकर
- उप विजेता: तबरेज़ हुसैन एवं सतीश कुमार
- महिला युगल-45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
- विजेता: डॉ. एस. प्रभावती एवं एम. प्रिसिला
- उप विजेता: वी. लता एवं राज लक्ष्मी दास
- बालक युगल-18 वर्ष से कम आयु वर्ग
- विजेता: शौर्य गोनयका एवं एम. पवन कुमार
- उप विजेता: सार्थक साहा एवं वी. गौतम
- बालिका युगल-18 वर्ष से कम आयु वर्ग
- विजेता: जी. लक्ष्मिता एवं देवेशे
- उप विजेता: एस. स्वर्णा एवं वर्षिता नंदी

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उपलब्धि के लिए विजेताओं और उप विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

72वें वन्यजीव सप्ताह के तहत सेलिंग मिनी मैराथन का आयोजन



श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग ने अण्डमान निकोबार सेलिंग क्लब के सहयोग से आज मरीना पार्क से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तक सेलिंग मिनी मैराथन का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाहरी एवं जल आधारित मनोरंजक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा विशेष रूप से युवा पीढ़ी में साहसिक गतिविधियों, स्वस्थ मनोरंजन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नीरज भारती, भा. प्र.से., सचिव उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. एस. दिनेश कन्नन, मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सहित पर्यावरण एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। सेलिंग मिनी मैराथन का आयोजन दो श्रेणियों, बच्चों और

वयस्कों, में किया गया। प्रतिभागियों ने मरीना पार्क से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप की ओर नौकायन किया तथा इस दौरान उत्साह, खेल भावना और नौकायन के प्रति गहरी रुचि का प्रदर्शन किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार बच्चों की श्रेणी में टी. हेतान्शी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि वयस्क श्रेणी में श्री यश जादव ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। दोनों श्रेणियों में द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार तथा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किए और आयोजन में उनके उत्साह एवं सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अण्डमान निकोबार सेलिंग क्लब की ओर से मानद सचिव श्री मोहम्मद परवेज़ सहित क्लब के अन्य सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

बीएसआई में हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 30 सितंबर, 2026 को आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, श्रुतिलेख एवं आशुभाषण जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपर निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉ. लाल जी सिंह द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. सिंह ने कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ दैनिक संवाद में भी हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजभाषा अधि नियम, 1963 तथा इसकी धारा 3(3) के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कर्मचारियों को कार्यालय की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। वनस्पतिशास्त्री एवं हिंदी अधिकारी डॉ. पंकज अरविंद ढोले ने स्वागत भाषण दिया तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। श्री प्रकाश होरो ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।



मुख्य सचिव ने मुंडा पहाड़ ट्रेक को

—पृष्ठ 1 का शेष

थे। मुख्य सचिव एवं अधिकारियों ने मुंडा पहाड़ व्यू प्वाइंट तक ट्रेकिंग की और वापस लौटे। इस दौरान लगभग 2.50 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि नवीनीकृत ट्रेक मार्ग सुरम्य उष्णकटिबंधीय वनों से होकर गुजरता है, जहां विभिन्न प्रकार के पक्षियों की समृद्ध उपस्थिति देखने को मिलती है। यह मार्ग दक्षिण अण्डमान के सबसे दक्षिणी छोर पर समाप्त होता है, जहां से समुद्र और

तटरेखा के मनोहारी विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। पारिस्थितिकी-पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित यह ट्रेक प्रकृति के प्रति सराहना तथा जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ नाजुक वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। निर्धारित जिम्मेदार पर्यटन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन यह ट्रेक सभी दिनों प्रातः 9 बजे से सायं 3 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा।

72वां वन्यजीव सप्ताह समारोह : चिड़ियाटापू

—पृष्ठ 1 का शेष

ने द्वीपसमूह में वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता तथा प्रकृति आधारित जिम्मेदार गतिविधियों को दिए जा रहे महत्व को रेखांकित किया।

कार्यक्रम में लगभग 35 प्रकृति प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इनमें एवियंस क्लब, अण्डमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, अण्डमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के महाविद्यालयीन छात्र तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े स्वयंसेवक शामिल थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिभागियों

ने चिड़ियाटापू जैविक उद्यान के प्राकृतिक मार्गों का भ्रमण किया और पक्षी अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें क्षेत्र की समृद्ध पक्षी विविधता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। देखी गई पक्षी प्रजातियों में अण्डमान ग्रीन पिजन, ग्रीन इम्पीरियल पिजन, अण्डमान ट्रीपाई, अण्डमान ड्रोंगो, अण्डमान रैकेट-टेल्ड ड्रोंगो, अण्डमान ब्लैक-नेड ओरिओल, अण्डमान कुक्कल, अण्डमान बुलबुल, रेड-ब्रिस्केड बुलबुल, ब्लाइट-हेडेड स्टारलिंग, एशियन ग्लांसी स्टारलिंग, अण्डमान सफ़ैट इंगल और ब्लाइट-बेलीड सी इंगल सहित अन्य पक्षी प्रजातियां शामिल थीं।

माननीय उप राज्यपाल के जन संवाद में उठे मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई: शहीद द्वीप में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित



श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। डॉ. दिनेश शर्मा, माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, ने 27 सितंबर, 2026 को शहीद द्वीप में 'जन संवाद' कार्यक्रम के तहत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के साथ द्वीपवासियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के संबंध में बैठक की। माननीय उप राज्यपाल ने समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा की गई कार्रवाई से माननीय उप राज्यपाल के कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए। जन संवाद के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक शहीद द्वीप के किसानों के लिए सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु समय पर उर्वरकों की आपूर्ति एवं उपलब्धता से संबंधित था। किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए तथा त्वरित प्रतिक्रिया एवं शीघ्र समाधान की भावना के अनुरूप कृषि विभाग ने शहीद द्वीप में समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।

जी.बी. पंत अस्पताल में मरीजों और परिचारकों के लिए अतिरिक्त बैठने की व्यवस्था की गई

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। हाल ही में जी.बी. पंत अस्पताल के दौरे के दौरान माननीय उप राज्यपाल ने मरीजों और उनके परिचारकों को अपर्याप्त बैठने की सुविधा के कारण होने वाली कठिनाइयों का संज्ञान लिया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आवश्यक स्थानों पर, विशेष रूप से सर्जिकल वार्ड और आईसीयू के निकट, मरीजों एवं उनके परिचारकों की सुविधा और आराम के लिए उचित बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत रोगी कल्याण समिति, जी.बी. पंत अस्पताल के माध्यम से अस्पताल में मरीजों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। इसी क्रम में सर्जिकल वार्ड तथा आईसीयू के निकट के क्षेत्रों सहित आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई हैं, ताकि चिकित्सकीय परामर्श, उपचार एवं अस्पताल की अन्य सेवाओं के लिए प्रतीक्षा करने वाले मरीजों और उनके परिचारकों को सुविधा मिल सके।



अतिरिक्त बैठने की इन सुविधाओं का उद्देश्य अस्पताल के वातावरण को अधिक आरामदायक एवं मरीजों के अनुकूल बनाना है, विशेष रूप से प्रतीक्षा के दौरान मरीजों के साथ रहने वाले परिचारकों के लिए। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार माननीय उप राज्यपाल के निर्देशों का त्वरित अनुपालन जी.बी. पंत अस्पताल में मरीजों की सुविधा, बेहतर अस्पताल सेवाओं तथा संवेदनशील एवं उत्तरदायी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रशासन के निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है।

72वां वन्यजीव सप्ताह : मगरमच्छ प्रबंधन, बचाव एवं पुनर्वास पर कार्यशाला हुई

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह-2026 के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा कल दक्षिण अण्डमान के चिड़ियाटापू स्थित जैविक उद्यान में मगरमच्छ प्रबंधन, बचाव एवं पुनर्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों के ज्ञान, तकनीकी कौशल तथा परिचालन संबंधी तैयारियों को बढ़ाना था, ताकि मगरमच्छों के सुरक्षित प्रबंधन, बचाव, पुनर्वास एवं संरक्षण के साथ-साथ वन्यजीवों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वन संरक्षक (वन्यजीव) श्री जूजू पी. अलप्पाट ने किया। उन्होंने मगरमच्छों के बचाव एवं स्थानांतरण अभियानों में तकनीकी ज्ञान, व्यावहारिक कौशल, टीम भावना तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने स्वागत संबोधन में चिड़ियाटापू जैविक उद्यान की



उप निदेशक श्रीमती मीरा नांबियार ने अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के निरंतर क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यशाला में सभी प्रादेशिक एवं वन्यजीव प्रभागों के वनरक्षक प्रशिक्षुओं तथा अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अण्डमान तथा निकोबार कमान की रजत जयंती

भारतीय नौसेना का सिंफॉनिक बैंड देगा संगीतमय प्रस्तुति

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। अटूट प्रतिबद्धता, शौर्य और विशिष्ट सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार कमान अपनी रजत जयंती मना रही है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस ऐतिहासिक अवसर में संगीतमय रंग भरते हुए अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए प्रसिद्ध भारतीय नौसेना का सिंफॉनिक बैंड डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) में 6, 7 और 8 अक्टूबर को संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। यह कार्यक्रम सीमाओं से परे जाकर संगीत की सार्वभौमिक भाषा का उत्सव मनाने वाला विशेष संगीतमय अनुभव प्रस्तुत करेगा।



गांधी जयंती पर देश भर में 2.42 लाख विशेष ग्राम सभाओं ने जन—केंद्रित पहलों को ज़मीनी स्तर की चर्चाओं के केंद्र में रखा

गांधी जयंती के अवसर पर, देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जीपीडीपी पोर्टल (https://gpdp.nic.in) और पंचायत निर्णय पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) पर 24 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। इन ग्राम सभाओं में स्थानीय निवासियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026–27, “सबकी योजना, सबका विकास” का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027–28 के लिए अपनी पंचायत विकास योजनाएं तैयार करेंगी। इन 2.42 लाख विशेष ग्राम सभाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों— मुख्य रूप से पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उपभोक्ता हित विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग और भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं और प्रमुख पहलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

विशेष ग्राम सभाओं ने ग्रामीण नागरिकों को सरकार की प्रमुख पहलों और स्थानीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने के लिए एक सीधा मंच प्रदान किया। व्यापक विचार–विमर्श में पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का बेहतर हस्तांतरण, स्वयं के राजस्व के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित संपत्ति और भूमि अधिकार, सुनिश्चित रोजगार और आजीविका, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्र शामिल थे। इन बैठकों में पिछले बारह वर्षों में किए गए परिवर्तनकारी शासन सुधारों और नागरिक–केंद्रित उपायों सहित प्रमुख सरकारी पहलों को उजागर करने वाली कार्यसूची और जागरूकता सामग्री को पढ़कर सुनाया गया और उस पर चर्चा की गई। स्थानीय निवासियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अनुभव, दृष्टिकोण और सुझाव साझा किए, जो ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को समृद्ध बनाने में योगदान देंगे। इन विशेष ग्राम सभाओं के राष्ट्रव्यापी आयोजन को सहयोगी मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों, उनके ज़मीनी स्तर के पदाधिकारियों और माई इंडिया स्वयंसेवकों के सहयोग से संभव बनाया गया। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर उनकी सहभागिता ने नागरिक–केंद्रित योजनाओं और पहलों पर सार्थक संवाद को सुगम बनाने में मदद की, साथ ही ज़मीनी स्तर पर जन भागीदारी और संवाद को मजबूत किया। समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा, देश भर में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं की प्रगति की समीक्षा की और सहकारी संघवाद की भावना से घनिष्ठ समन्वय को सुगम बनाया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों, उनके पंचायती राज विभागों, जिला प्रशासनों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से, इस अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी अन्यास का सुचारु संचालन सुनिश्चित हुआ।

पुलिस थाना पहाड़गांव ने 24 घंटे के भीतर सतत जांच के माध्यम से अज्ञात हत्या का मामला सुलझाया

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अपराध एवं अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता के निर्देशों के अनुसरण में, पुलिस थाना पहाड़गांव ने 24 घंटे के भीतर सतत जांच तथा डिजिटल, सीसीटीवी, फोरेंसिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के व्यवस्थित विश्लेषण के माध्यम से अज्ञात हत्या के एक मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया है।

2 अक्टूबर, 2026 को सुनामी शेल्टर–1, ब्रुकशाबाद के निकट जंगल से मृतक जूलियस केरकेट्टा उर्फ विनोद, पुत्र स्वर्गीय मार्टिन केरकेट्टा, उम्र 37 वर्ष, निवासी तंबू बिजन, ब्रुकशाबाद का शव बरामद होने के बाद पुलिस थाना पहाड़गांव में प्राथमिकी दर्ज की गई। उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए तत्काल एक जांच दल गठित किया गया। मृतक से जुड़े कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा घटना से पहले उनकी गतिविधियों और संचार की जांच दल द्वारा गहनता से जांच की गई। कॉल विवरण अभिलेख (सीडीआर) के विस्तृत विश्लेषण तथा मृतक के निवास से जुड़े मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की व्यापक जांच के बाद एक महिला की पहचान मुख्य संदिग्ध के रूप में की गई। सीसीटीवी फुटेज का सीडीआर, गवाहों के बयानों तथा उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ सावध ानीपूर्वक मिलान किया गया, जिससे घटनाक्रम तथा मृतक की हत्या में मुख्य संदिग्ध प्रेम शीला उर्फ तेली आंटी की सलिप्तता स्थापित करने में सहायता मिली। लगातार पूछताछ के दौरान मुख्य संदिग्ध ने मृतक की मृत्यु में अपनी सलिप्तता स्वीकार की।



जन योजना अभियान 2026–27 ‘सबकी योजना, सबका विकास’

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के 21 मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा जन योजना अभियान, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सम्पूर्ण सरकार’ के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मंत्रालय 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान चला रहा है ताकि पंचायतों को साक्ष्य–आधारित, समग्र और सहभागी योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, मंत्रालय स्थानीय विकास के नौ विषयों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। 25 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करती हैं और उन्हें ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं, जबकि पंचायत उन्नति सूचकांक प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी उपलब्धियों और कमियों की पहचान करने में मदद करता है। इस आधार पर, ग्राम सभा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर संकल्प ले सकती है, जिससे सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।

विशेष ग्राम सभाओं में प्रस्तुत प्रमुख सुधार और उपलब्धियाँ सशक्त एवं आत्मनिर्भर पंचायतें (पंचायती राज मंत्रालय)। सोलहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वर्ष 2026–31 के लिए रु. 4,35,236 करोड़ की अनुशंसा की है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति वार्षिक अनुदान लगभग रु. 400 से बढ़कर लगभग रु. 950 हो गया है। समर्थ पंचायत पोर्टल पर 57 लाख से अधिक करदाताओं और 15 लाख संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है, और आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार के अंतर्गत रु. 1 करोड़ तक के प्रोत्साहन दिए जाते हैं। पंचायत लेखा–जोखा अब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली छह स्तरीय संरचना का अनुसरण करता है, और 2.5 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाएं ऑडिटऑनलाइन प्रणाली से जुड़ चुकी हैं। ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ ग्राम आबादी और मानचित्रण सर्वेक्षण (एसवीएएमआईटीवीए) योजना के तहत, 2.06 लाख गांवों के लिए 3.33 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, लगभग रु. 1,713 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और

महिलाओं को संपत्ति मालिकों के रूप में मान्यता देने को प्रोत्साहित किया गया है। रोजगार एवं आजीविका (ग्रामीण विकास विभाग)। 1 जुलाई, 2026 से लागू विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें फेस ऑर्थेंटिकेशन और डिजिटल भुगतान के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती है। अब तक इसमें 31.69 करोड़ से अधिक व्यक्ति–दिवस सृजित किए जा चुके हैं, लगभग 2.23 करोड़ परिवारों के 2.81 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है, और लगभग 2.31 लाख ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2026–27 के लिए रु. 93,841 करोड़ का अंतरिम आबंटन किया गया है, और विकसित ग्राम पंचायत योजना ग्राम सभा को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)। जल जीवन मिशन के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी के कनेक्शन लगभग 3.23 करोड़ घरों (17 प्रतिशत) से बढ़कर 16 करोड़ से अधिक (80 प्रतिशत से अधिक) हो गए हैं, और ग्राम पंचायतों और समुदायों को पूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण हेतु ‘जल अर्पण’ पर भी प्रकाश डाला गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, 12.22 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है और 5.25 लाख से अधिक गांवों (89.6 प्रतिशत) ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त (मॉडल) घोषित किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 के समापन के अवसर पर ग्राम सभाओं में टोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 पर चर्चा की गई।

जल सुरक्षा (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग)। जल संचय जन भागीदारी: को कैच द रेन कार्यक्रम के तहत, सामुदायिक भागीदारी से 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम जल पुनर्भरण (आर्टिफिशियल रीचार्ज) और भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, और पहले चरण के प्रभाव अध्ययन में 2.43 अरब घन मीटर भूजल पुनर्भरण का अनुमान लगाया गया है। संशोधित जलसंभर विकास मानदंडों के तहत मैदानी क्षेत्रों में रु. 22,000 प्रति हेक्टेयर और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में रु. 28,000 प्रति हेक्टेयर तक निधि बढ़ाई गई है, और परियोजना

नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय सुनिश्चित: हत्या के मामले में आजीवन कारावास

मायाबंदर, 4 अक्टूबर। उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने प्राथमिकी संख्या 46/2024 दिनांक 13 सितंबर, 2024 में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। उक्त प्राथमिकी पुलिस थाना कालीघाट, उत्तर अण्डमान में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103/238(क) के तहत दर्ज की गई थी। दिनांक 1 अक्टूबर, 2026 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला, मायाबंदर की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यह मामला 13 सितंबर, 2024 को नबाग्राम में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है, जिसमें अपने मित्र के साथ मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मामला तत्काल पुलिस थाना कालीघाट में दर्ज

इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र में नए प्रवेश की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तक बढ़ाई

श्री विजय पुरम, 4 अक्टूबर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई, 2026 सत्र के लिए अपने स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों एवं सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए लागू है। इग्नू द्वारा स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इग्नू द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्य हैं तथा इनका उपयोग पदोन्नति एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए किया जा सकता है। नियमित माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे विद्यार्थी दोहरी डिग्री योजना के अंतर्गत इग्नू में भी प्रवेश ले सकते हैं।

की अवधि सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है। कैच द रेन के तहत ग्राम सभा की गतिविधियों का उद्देश्य वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और समुदाय–नेतृत्व वाले जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। स्थानीय समुदायों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें तकनीकी मार्गदर्शन, जागरूकता वीडियो का प्रदर्शन, वृक्षारोपण और श्रमदान गतिविधियों के साथ–साथ जल शपथ भी दिलाई गई। वर्षा जल की हर बूंद को संरक्षित करने और सतत जल प्रबंधन की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए कैच द रेन (सीटीआर) गान भी बजाया और प्रदर्शित किया गया।

खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग)। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत, हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन होते हैं, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है, जिसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 17 भाषाओं में उपलब्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को अगस्त 2026 में 3,42,371 कॉल प्राप्त हुए, जबकि अगस्त 2019 में यह संख्या 78,477 थी, और अप्रैल 2025 से अब तक 105 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस की जा चुकी है। ई–जागृति प्लेटफॉर्म ने 2.81 लाख मामलों में से 2.55 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है और राष्ट्रीय ई–गवर्नंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार प्राप्त किया है।

डिजिटल भूमि अभिलेख (भूमि संसाधन विभाग)। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, 99.90 प्रतिशत अधिकारों के रिकॉर्ड और 97.4 प्रतिशत कैंडिस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, और 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे मालिकों को धोखाधड़ी वाले नामांतरण (म्यूटेशन) से बचाया जा सके और क्रेडिट (ऋण) तक पहुंच आसान हो सके।

अन्य प्रमुख राष्ट्रीय पहलों के बारे में जागरूकता

कई मंत्रालयों/विभागों ने ग्राम स्तर पर जागरूकता सुनिश्चित करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम, के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता की; सहकारिता मंत्रालय ने डिजिटल रूपांतरण और सहकारिता सुदृढ़ीकरण में; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत में; और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान में सहयोग दिया, ताकि सुरक्षित, स्वस्थ, बाल विवाह मुक्त और नशामुक्त गांवों का निर्माण हो सके।

इन विशेष ग्राम सभाओं ने ग्राम सभा को सहभागी लोकतंत्र और स्थानीय शासन की नींव के रूप में पुनः रेखांकित। पंचायती राज मंत्रालय जन योजना अभियान के तहत 2027–28 के लिए जन–केंद्रित पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए तत्पर है, ताकि विकसित भारत के व्यापक प्रयास के अंतर्गत सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित पंचायतों का निर्माण किया जा सके।

किया गया तथा तत्कालीन थाना प्रभारी, उप–निरीक्षक अशोक कुमार बघेल द्वारा इसकी जांच की गई। जांच के दौरान घटनास्थल का व्यापक एवं सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। अपराध स्थल अधिकारी (एसओसीओ) द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, फोरेंसिक जांच तथा प्रासंगिक वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया। तकनीकी एवं पेशेवर तरीके से की गई जांच, साक्ष्यों के व्यवस्थित संकलन तथा माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी प्रभावी प्रस्तुति ने आरोपी को दोषी ठहराने और उसे आजीवन कारावास की सज़ा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह दोषसिद्धि उत्तर व मध्य अण्डमान जिला पुलिस की पेशेवर जांच एवं प्रभावी अभियोजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में आम जनता के विश्वास को और मजबूत करती है।

इग्नू में नए प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विद्यार्थी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in के ‘स्टूडेंट सर्विस–एडमिशन’ अनुभाग पर जाकर इग्नू समर्थ पोर्टल के माध्यम से नए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इग्नू कृषि, स्वास्थ्य विज्ञान, विदेशी भाषाओं, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, जनसंचार एवं संचार, यात्रा एवं पर्यटन, अनुवाद अध् ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाइन प्रवेश आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर शिक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने, वीआईपी रोड, जंगलीघाट डाकघर, श्री विजय पुरम से संपर्क कर सकते हैं।

विश्व संयम दिवस : संयम की साधना और आत्मनियंत्रण से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (डीडी न्यूज़)।

मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक उसका विवेकपूर्ण उपयोग भी है। इच्छाओं, आदतों और उपभोग पर नियंत्रण व्यक्ति को संतुलित और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। इसी व्यापक दृष्टि को ‘संयम’ कहा जाता है। संयम केवल किसी वस्तु या आदत का त्याग नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और व्यवहार को विवेक, अनुशासन और जिम्मेदारी के अनुरूप संचालित करने की जीवन–पद्धति है। जब यह व्यक्तिगत आचरण से आगे बढ़कर परिवार और समाज का मूल्य बनता है, तब इसका प्रभाव व्यापक होता है। विश्व संयम दिवस इसी भावना को विशेष रूप से शराब और नशीले पदार्थों से दूरी तथा उनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता से जोड़ता है।

आधुनिक संदर्भ में हालांकि संयम का अर्थ केवल मद्यपान से बचना नहीं है। यह स्वस्थ जीवन शैली, आत्मनियंत्रण, मानसिक संतुलन, जिम्मेदार उपभोग और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संदेश देता है। शराब, तंबाकू और अन्य मनरुप्रभावी पदार्थों का हानिकारक उपयोग आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्टें इनके दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए रोकथाम, उपचार और प्रभावी नीतियों के समन्वय पर जोर देती हैं। भारत में भी यह चुनौती महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, 10 से 75 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। करीब 3.1 करोड़ लोग कैनाबिस और 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में 5.7 करोड़ से अधिक लोगों के शराब के हानिकारक या निर्भरता वाले उपयोग से प्रभावित होने का अनुमान है। ऐसे में विश्व संयम दिवस केवल एक अवसर नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन, आत्मनियंत्रण और जिम्मेदार समाज के निर्माण के लिए सामूहिक आत्मचिंतन का संदेश है।

संयम का वास्तविक अर्थ

संयम शब्द का अर्थ सामान्यतः किसी इच्छा, आदत या व्यवहार को विवेकपूर्ण सीमा में रखना है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन की सभी इच्छाओं को दबा दिया जाए। इसका मूल भाव है आवश्यकता और अति के बीच संतुलन स्थापित करना। शराब और नशीले पदार्थों के संदर्भ में संयम का अर्थ है पीने से बचना या उससे दूरी बनाना हो सकता है। लेकिन व्यापक अर्थ में संयम भोजन, क्रोध, उपभोग, मनोरंजन, डिजिटल माध्यमों और अन्य आदतों पर भी लागू होता है। इसलिए संयम को केवल निषेध की अवधारणा के रूप में देखने के बजाय आत्मनियंत्रण और विवेकपूर्ण जीवन शैली के रूप में समझना अधिक उपयोगी है। आज जब बाजार और डिजिटल माध्यम लगातार नई इच्छाएं पैदा कर रहे हैं, तब संयम का महत्व और बढ़ गया है। व्यक्ति के सामने विकल्पों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हर विकल्प को अपनाना आवश्यक नहीं। अपनी जरूरत, स्वास्थ्य, समय और आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर निर्णय लेना ही आधुनिक जीवन में संयम का व्यावहारिक रूप है।

संयम आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शराब के अत्यधिक सेवन के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों का इतिहास काफी पुराना है। आधुनिक टेम्परेंस मूवमेंट विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में इन आंदोलनों ने शराब के अत्यधि क लत से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। कई समूहों ने सीमित सेवन की वकालत की, जबकि कुछ संगठनों ने पूर्ण मद्यनिषेध का समर्थन किया। इन आंदोलनों में धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही। शराब से जुड़े पारिवारिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक समस्याओं ने इसे केवल व्यक्तिगत आदत का विषय नहीं रहने दिया, बल्कि सामाजिक सुधार के प्रश्न में बदल दिया। समय के साथ कई देशों में पूर्ण मद्यनिषेध के प्रयोग भी हुए। कुछ स्थानों पर इनके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए और नीतियों में बदलाव किए गए। इससे यह सीख सामने आई कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होते। जागरूकता, सामाजिक समर्थन, उपचार, पुनर्वास और प्रभावी नियमन भी आवश्यक हैं। इसी ऐतिहासिक अनुभव के कारण आज संयम की चर्चा को अधिक व्यापक और स्वास्थ्य–केंद्रित दृष्टि से देखा जाता है।

भारतीय जीवन–दर्शन में संयम की परंपरा

भारतीय संस्कृति में संयम कोई नई अवधारणा नहीं है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में आत्मनियंत्रण, इंद्रियनिग्रह, संतुलन और मध्यम मार्ग को जीवन की उन्नति से जोड़ा गया है। योग परंपरा में यम और नियम के माध्यम से व्यक्ति के आचरण को अनुशासित करने की बात कही गई है। बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग की अवधारणा अतियों से बचने की प्रेरणा देती है। जैन परंपरा में भी आत्मसंयम और इंद्रिय–नियंत्रण को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय सामाजिक जीवन में व्रत और उपवास की परंपराएं भी आत्म अनुशासन से जुड़ी रही हैं। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मचिंतन का अवसर भी रहा है। महात्मा गांधी ने भी व्यक्तिगत जीवन में आत्म संयम, सादगी और नशामुक्ति को महत्व दिया। उनके विचारों में व्यक्ति का आत्मानुशासन सामाजिक परिवर्तन का आधारभूमि था। इस दृष्टि से देखें तो विश्व संयम दिवस का संदेश भारतीय जीवन–दर्शन के कई मूल्यों से सहज रूप से जुड़ता है।

नशा : व्यक्तिगत आदत से सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती तक
नशीले पदार्थों का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो उसे पीता है। इसका असर परिवार, कार्यस्थल, आर्थिक स्थिति और समुदाय तक पहुंच सकता है। लगातार नशापान करना व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यवहार और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शराब और अन्य मन:प्रभावी पदार्थों से होने वाला नुकसान अनेक सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारकों से जुड़ा होता है। इसलिए प्रभावी समाधान के लिए केवल व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के



प्रयास पर्याप्त नहीं हैंय व्यापक सामाजिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी भूमिका होती है। भारत में उपलब्ध राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने भी पदार्थ–उपयोग की विविधता को रेखांकित किया है। शराब के बाद कैनाबिस और ओपिओइड प्रमुख रूप से उपयोग किए जाने वाले मन:प्रभावी पदार्थों में शामिल हैं। इसके अलावा सेडेटिव, इनहेलेंट और अन्य पदार्थों के उपयोग की भी पहचान की गई है।

स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर

शराब और अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक या हानिकारक उपयोग शरीर के अनेक अंगों और प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। यकृत, हृदय, तंत्रिका तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव देखे जा सकते हैं। लंबे समय तक तंबाकू की लत कैंसर और अनेक गैर–संचारी रोगों के जोखिम से जुड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की तंबाकू रिपोर्ट दुनिया भर में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों की प्रगति और चुनौतियों का आकलन करती है। रिपोर्ट के अनुसार, कई देशों में तंबाकू नियंत्रण के प्रभावी उपायों से बड़ी आबादी को सुरक्षा मिली है, लेकिन अनेक देशों में अभी भी सर्वोत्तम स्तर के नियंत्रण उपाय पूरी तरह लागू नहीं हैं। इसलिए संयम का स्वास्थ्य संबंधी अर्थ केवल बीमारी होने के बाद उपचार तक सीमित नहीं है। बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ आदतों का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मानसिक स्वास्थ्य और नशे का संबंध

तनाव, अकेलापन, सामाजिक दबाव और जीवन की कठिन परिस्थितियां कुछ लोगों को नशे की ओर ले जा सकती हैं। कई बार व्यक्ति तनाव या चिंता से अस्थायी राहत पाने के लिए किसी पदार्थ का सहारा लेता है। लेकिन यह राहत स्थायी समाधान नहीं होती और बार–बार सेवन निर्भरता की स्थिति को जन्म दे सकता है। इसीलिए नशामुक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। केवल यह कहना कि व्यक्ति अपनी इच्छा–शक्ति से नशा छोड़ दे, पर्याप्त नहीं हो सकता। कुछ लोगों को चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और परिवार के सहयोग की आवश्यकता होती है। नशे से जूझ रहे व्यक्ति के प्रति सामाजिक कलंक समस्या को और कठिन बना सकता है। संवेदनशीलता और उपचार–केंद्रित दृष्टिकोण व्यक्ति को सहायता लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।

परिवार पर नशे का प्रभाव

नशे की समस्या का सबसे गहरा प्रभाव परिवार के भीतर दिखाई दे सकता है। शराब या अन्य पदार्थों पर खर्च होने वाला पैसा परिवार की आवश्यकताओं को प्रभावित कर सकता है। घरेलू तनाव बढ़ सकता है और पति–पत्नी के संबंधों तथा बच्चों के भावनात्मक विकास पर असर पड़ सकता है। बच्चे ऐसे वातावरण में असुरक्षा, तनाव या उपेक्षा का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। इसलिए नशामुक्ति को केवल व्यक्ति के उपचार के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। परिवार को भी परामर्श और सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। परिवार की सकारात्मक भूमिका व्यक्ति को उपचार जारी रखने और सामान्य जीवन में लौटने में मदद कर सकती है।

युवाओं के सामने नई चुनौती

युवा किसी भी समाज की सबसे सक्रिय और ऊर्जावान आबादी होते हैं। लेकिन किशोरावस्था और युवावस्था में साथियों का दबाव, प्रयोग करने की प्रवृत्ति और सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा जोखिम बढ़ा सकती है। इस स्थिति में केवल नशे के नुकसान बताना पर्याप्त नहीं है। युवाओं को तनाव से निपटने, निर्णय लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और सामाजिक दबाव का सामना करने की जीवन–कौशल शिक्षा भी दी जानी चाहिए। खेल, संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, स्वयंसेवा और सामुदायिक गतिविधि यां युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकती हैं। विद्यालय और महाविद्यालय नशा मुक्ति जागरूकता के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य और जीवन–कौशल शिक्षा को भी अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना सकते हैं।

बच्चों और किशोरों के लिए विशेष सावधानी

राष्ट्रीय सर्वेक्षण में इनहेलेंट के उपयोग के मामले में बच्चों और किशोरों की स्थिति विशेष चिंता का विषय सामने आई। सर्वेक्षण के अनुसार, इस श्रेणी में वर्तमान उपयोग की दर बच्चों और किशोरों में वयस्कों की तुलना में अधिक पाई गई। यह तथ्य बताता है कि नशे की रोकथाम की शुरुआत वयस्क होने के बाद नहीं, बल्कि बचपन और किशोरावस्था से ही होनी चाहिए। माता–पिता, शिक्षक और समुदाय को बच्चों के व्यवहार में अचानक बदलाव, स्कूल से दूरी, गलत संगत और अन्य जोखिम संकेतों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए।

डिजिटल युग में संयम का विस्तार

आज संयम की अवधारणा का एक नया क्षेत्र डिजिटल

जीवन भी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और लगातार डिजिटल संपर्क ने जीवन को सुविध ाजनक बनाया है, लेकिन अत्यधिक उपयोग समय, नींद, एकाग्रता और सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आधुनिक संयम का अर्थ डिजिटल माध्यमों से पूर्ण दूरी नहीं, बल्कि उनका विवेकपूर्ण उपयोग है। समय–सीमा तय करना, भोजन और सोने के समय स्क्रीन से दूरी रखना, परिवार के साथ प्रत्यक्ष संवाद बढ़ाना और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाना डिजिटल संतुलन के उपयोगी उपाय हो सकते हैं। यहां भी मूल सिद्धांत वही है तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं।

खान–पान और उपभोग में संयम

संयम का संबंध खान–पान से भी है। अत्यधिक नमक, चीनी और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन तथा शारीरिक गतिविधि की कमी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा सकती है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और दिनचर्या में अनुशासन स्वस्थ जीवन के आधार हैं। इसी तरह अनावश्यक खरीदारी और अत्यधिक उपभोग से बचना आर्थिक संयम का हिस्सा है। इस प्रकार संयम को केवल नशा मुक्ति अभियान तक सीमित करने के बजाय संपूर्ण जीवन शैली के सिद्धांत के रूप में समझने की आवश्यकता है।

सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी

शराब पीने के साथ वाहन चलाना सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। चालक की निर्णय क्षमता, प्रतिक्रिया समय और वाहन पर नियंत्रण प्रभावित होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए जिम्मेदार नागरिकता का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि व्यक्ति नशे की स्थिति में वाहन न चलाए और दूसरों की सुरक्षा को भी उतना ही महत्व दे जितना अपनी सुरक्षा को। संयम का वास्तविक सामाजिक अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणामों को केवल व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में भी देखे।

कार्यस्थल और आर्थिक जीवन में संयम

नशे का प्रभाव कार्यक्षमता और उत्पादकता पर भी पड़ सकता है। काम में अनुपस्थिति, दुर्घटनाओं का जोखिम, निर्णय क्षमता में कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति तथा संस्थान दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से ऐसे कार्यक्षेत्र जहां प्रभावों, परिवहन या उच्च जोखिम वाली गतिविधियों से जुड़ा काम होता है, वहां नशा मुक्त वातावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यस्थलों पर जागरूकता, परामर्श और सहायता कार्यक्रमों को दंडात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ स्वास्थ्य और पुनर्वास की दृष्टि से भी विकसित किया जा सकता है।

नशे की समस्या से निपटने में उपचार और पुनर्वास की भूमिका

नशे की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को केवल दोषी ठहराने से समाधान नहीं निकलता। निर्भरता की स्थिति में चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिाकारिता मंत्रालय नशे की मांग कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उपचार, पुनर्वास, सामुदायिक हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रमों को समर्थन देता है। इनमें Integrated Rehabilitation Centres वित Addicts] Community-based Peer-led Intervention] Outreach and Drop-in Centres]

भारतीय नौसेना के जहाज सहाद्रि और कुलिश ने एआईएमई—2026 में अपनी भागीदारी पूरी की

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (प.सू.का.)। भारतीय नौसेना के जहाजों 'सहाद्रि' और 'कुलिश' ने फिलीपींस में 'विश्वास' में अदूट, समुद्र में एकजुट' विषय के तहत आयोजित आसियान–भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई–2026) में अपनी भागीदारी पूरी की। इस अभ्यास के बंदरगाह और समुद्री चरणों के दौरान पेशेवर संवाद, परिचालन समन्वय व समुद्री प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये। उद्घाटन समारोह के बाद बंदरगाह चरण का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संवाद, खेलकूद, योग, सामुदायिक संपर्क और विषय विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल रही। इसके बाद आयोजित अभ्यास के साथ परिचालन समन्वय और समुद्री अभियान से पहले की तैयारियों से समुद्री चरण के लिए तालमेल तथा तैयारी को आगे बढ़ाने में मदद मिली। समुद्री चरण के दौरान आईएनएस सहाद्रि और आईएनएस कुलिश ने विभिन्न समुद्री अभ्यासों में भाग लिया। इनमें मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, जहाज पर चढ़कर तलाशी और

Addiction Treatment Facilities तथा District De-Addiction Centr में जैसे प्रयास शामिल हैं। मंत्रालय नशा मुक्ति के लिए हेल्पलाइन 14446 और 'नशा मुक्त भारत अभियान' का भी उल्लेख करता है। इस दृष्टिकोण में नशे की समस्या को केवल कानून–व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्वास से जुड़ी चुनौती के रूप में भी देखा गया है।

परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी

नशा मुक्ति की सफलता के लिए परिवार और समुदाय दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार व्यक्ति को भावनात्मक सहयोग दे सकता है, जबकि समुदाय सकारात्मक सामाजिक वातावरण तैयार कर सकता है। विद्यालय, पंचायत, स्थानीय संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, स्वास्थ्यकर्मी और धार्मिक–सामाजिक संस्थाएं मिलकर जागरूकता का प्रभावी वातावरण बना सकते हैं। संदेश यह होना चाहिए कि नशे से बचना केवल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया है। साथ ही, नशे से जूझ रहे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के बजाय उपचार और पुनर्वास का अवसर मिलना चाहिए। सहायता और सम्मान का वातावरण उसे सामान्य जीवन में लौटने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

कानून के साथ जागरूकता भी जरूरी

नशे के अवैध कारोबार और हानिकारक पदार्थों की उपलब्धता पर नियंत्रण के लिए कानून आवश्यक है। लेकिन केवल कानूनी कार्रवाई से मांग समाप्त नहीं होती। मांग कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार और समुदाय की भागीदारी भी जरूरी है। भारत सरकार की रणनीति में जागरूकता, परामर्श, उपचार और पुनर्वास को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग को मनो–सामाजिक–चिकित्सकीय समस्या के रूप में देखता है और परिवार तथा समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर जोर देता है।

संयम : निषेध से आगे की सोच

संयम का संदेश केवल यह नहीं है कि व्यक्ति क्या न करे। इसका सकारात्मक पक्ष यह भी है कि व्यक्ति अपने जीवन में क्या अपनाए। स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम, रचनात्मक गतिविधियां, परिवार के साथ समय, सकारात्मक मित्रता, मानसिक संतुलन और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार संयम की आधुनिक अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए संयम को भय या अपराध बोध से जोड़ने के बजाय आत्मसम्मान और स्वस्थ जीवन से जोड़ना अधिक प्रभावी हो सकता है। जब व्यक्ति समझता है कि संयम उसके जीवन की गुणवत्ता बेहतर कर सकता है, तब व्यवहार परिवर्तन अधिक स्थायी आधार प्राप्त करता है।

स्वतंत्रता के साथ विवेक और जिम्मेदारी का संतुलन विश्व संयम दिवस हमें याद दिलाता है कि जीवन में स्वतंत्रता के साथ विवेक और जिम्मेदारी भी आवश्यक है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ परिवार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संबंधों पर भी असर डाल सकता है। इसलिए नशा मुक्ति केवल किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने देश में शराब और अन्य मनरुप्रभावी पदार्थों के उपयोग की व्यापकता तथा उपचार की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दूसरी ओर, सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की ओर से उपचार, पुनर्वास और जागरूकता के प्रयास जारी हैं। विश्व स्तर पर भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टें रोकथाम, उपचार और प्रभावी नीतियों के समन्वय की आवश्यकता रेखांकित करती हैं।

संयम जीवन को सीमित नहीं, सार्थक बनाता है

आज संयम का संदेश पहले से अधिक व्यापक है। यह शराब या नशीले पदार्थों से दूरी के साथ–साथ भोजन, तकनीक, उपभोग, समय और भावनाओं के संतुलित उपयोग की भी प्रेरणा देता है। संयम जीवन को सीमित करने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक स्वस्थ, संतुलित और सार्थक बनाने की कला है। यदि परिवार स्वस्थ होना है, युवा सुरक्षित रहना चाहते हैं और समाज को अधिक उत्पादक तथा संवेदनशील बनाना है, तो आत्मनियंत्रण और जिम्मेदार जीवन शैली को सामाजिक मूल्य के रूप में मजबूत करना होगा। विश्व संयम दिवस इसी दिशा में आत्मचिंतन का अवसर देता है कि हम अपनी आदतों के स्वामी बनें, उनके गुलाम नहीं। संयम का अंतिम उद्देश्य केवल किसी बुराई से दूरी बनाना नहीं, बल्कि ऐसी जीवन शैली विकसित करना है, जिसमें स्वास्थ्य, विवेक, आत्मसम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी साथ–साथ आगे बढ़ें।